राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] बारहवीं विधान सभा के पहले सत्र का 21 वां दिवस [संख्या : 8

बुधवार,

4 फरवरी, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।

फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।

सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

सुखदाम् वरदाम मातरम्।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं:

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 फरवरी, 2004 को मध्याान्ह पूर्व 11.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 2004 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले का कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:

	1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-2005 का उपस्थापन,
	2. वर्ष 2004-2005 के लिये लेखानुदान (वोट आन अकाउंट) सम्बन्धी विवरण का प्रस्तुतीकरण,
	3. लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का पारण,
बुधवार, दिनांक 4 फरवरी, 2004	4. लेखानुदान सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन एवं
	5. वर्ष 2003-2004 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन
	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2003-2004 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण, एवं
गुरुवार, दिनांक 5 फरवरी, 2004	2. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2004 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।''

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका...

श्री अध्यक्ष : क्या है।

डा. सी.पी.जोशी : पाइंट आफ आर्डर है। I am on a point of order.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के पहले कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं आता। आज तक नहीं आया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के पहले आज तक नहीं आया पाइंट आफ आर्डर।

डा. सी.पी.जोशी : I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : मैं आपको समय दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलेगा। आज तक कभी यह परम्परा नहीं रही कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर इस तरह की बात उठे ...(व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी : आप क्या हैं ... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर पाइंट आफ आर्डर नहीं आता माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपसे परमिशन मांगी है, इनसे परमिशन नहीं मांगी है। पाइंट आफ आर्डर आपसे मांगा है, इनसे नहीं मांगा है। मैंने पाइंट आफ आर्डर आपसे ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय सी.पी. साहब का तो आ जाता है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पाइंट आफ आर्डर के लिये व्यवस्था दूंगी लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अभी तो कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में उन्होंने कहा है-

डा. सी.पी. जोशी : इसी में पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये। सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसमें पाइंट आफ आर्डर होता ही नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता वहां मौजूद थे। आपके और मैम्बर भी वहां पर मौजूद थे इसलिये पहले यह हो जाने दीजिये। पाइंट आफ आर्डर बाद में सुन लेंगे ... (व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी : मैडम, मेरी बात सुनिये। हम यह फैसला कैसे कर लेंगे। I am on a point of order. You kindly listen it and then reject it.

आपको क्या मालूम क्या उठा रहा हूं मैं ? पाइंट आफ आर्डर सुने बिना ही आप फैसला कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : तो इसलिये...

डा. सी.पी. जोशी : I am on a point of order. How do you know, what is my point of order?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को धमका रहे हैं। इनको यह पता नहीं है...

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय कमिश्नर साहब, पाइंट आफ आर्डर का भी टाइम होता है।

डा. सी.पी. जोशी : आप सुनिये फिर रिजेक्ट करिये ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गर्जर: माननीय एस.पी. साहब, पाइंट आफ आर्डर का भी एक समय होता है। मर्जी आए जब पाइंट आफ आर्डर नहीं ले सकते आप। आप आपकी इच्छा हो तब पाइंट आफ आर्डर नहीं ले सकते।

डा. सी.पी.जोशी : पाइंट आफ आर्डर कहां से ले...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अभी पाइंट आफ आर्डर का समय नहीं है...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपका काम नहीं है, इनका काम है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका स्टेटमेंट है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप उत्तेजित मत...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आपका स्टैटमेंट है अखबार में। राजस्थान पत्रिका के अन्दर (Interruptions)... I am on a point of order. Let me say my point of order. आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? आपने बात सुनी नहीं, आप खामखाह में उत्तेजित हो रहे हैं।

डा. सी.पी.जोशी : आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं...(व्यवधान) फैसला कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो मैं आपको समय दूंगी। आपका पाइंट आफ आर्डर सुनूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन...(व्यवधान) सुनिये आप। सुनिये पहले आप...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप इतना गुस्सा मत करिये...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैडम, मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इतना उत्तेजित क्यों होते हैं...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, नो कमेंटस...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : गुस्सा नहीं करते है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, नो कमेंट्स। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगी लेकिन आपको इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है। शांतिपूर्वक कहिये ना अपनी बात। आप शांतिपूर्वक कहिये। क्या है ? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा. सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधान सभा कार्यालय के हैड स्पीकर महोदय है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उक्त एरिये के भी हैं।

डा. सी.पी.जोशी : आप अध्यक्ष महोदय, हैं। कि यह राजस्थान पत्रिका का स्टैटमेंट है जिसमें विधान सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह ने इस बारे में कहा है कि उन्हें तो यह सूचना है कि राज्य सरकार सदन में चार माह का लेखानुदान पेश करके पारित करेगी... (व्यवधान) सुनिये मेरी बात। दूसरी तरफ वित्त विभाग एवं अधिकारिक सूत्र का कहना है....(व्यवधान) सुनिये.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें होता ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को उनकी व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये आप । उठाने दीजिये । क्या कहते है, आप उठाने दीजिये...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उठाने दो एक बार....(व्यवधान) दो मिनट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : उठाने दीजिये ना क्या कहना चाहते हैं ?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है उस प्रस्ताव में आपके राजस्थान पत्रिका के कथन, वित्त विभाग के कथन में क्या अन्तर है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। उसके बाद आप व्यवस्था दीजिये। अध्यक्ष महोदय, आप प्रस्ताव ला रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है वह प्रश्न जब आएगा तब उसका जवाब भी आपको दिया जाऐगा।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें, पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। I am on a point of order. (interruptions)… आप मुझे अलाउ कर रहे हैं....(व्यवधान) बैठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बैठूंगा आप इजाजत...(व्यवधान) वह अपना काम करेंगे....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कोई परम्परा आज की नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : हो गया प्रश्न।

डा. सी.पी.जोशी : आपने मुझे कहा मैं बात सुनूंगी, आप सुनने ही नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनेंगी। बात तो सुनिये मेरी....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज तक अध्यक्ष महोदय पर टीका टिप्पणी नहीं हुई....(व्यवधान) यह नयी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आप उठाएं उससे पहले....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : टीका टिप्पणी करने का माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी : यदि अध्यक्ष महोदय कहेंगे तो बैठ जाऊंगा। आपने आलाउ किया है मुझे, बैठ जाऊंगा, आप मना कर दीजिये। यह तो कोई तरीका नहीं है। आप मुझे अलाउ करें, न करें....(व्यवधान) आप उनको तो कुछ कह नहीं रहे हैं....(व्यवधान) आप फैसला कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसमें सभी पार्टियों के माननीय नेता उसके मैम्बर होते हैं, उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। न यह परम्परा है, न यह नियम है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं लेकिन अनावश्यक रूप से सदन का समय बरबाद कर रहे हैं

श्री महादेव सिंह : आप क्या हैं? बरबाद तो आप कर रहे हो, उनको कानून सिखा रहे हो। बरबाद तो आप कर रहे हो, उनको कानून सिखा रहे हो। आप इनको नियम बता रहे हो। व्यवस्था उनको देनी है, व्यवस्था दे रहे हैं आप....(व्यवधान) आपको किसने पूछा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको क्या मतलब है?

श्री महादेव सिंह : व्यवस्था अध्यक्ष जी को देनी है। आप कानून सिखा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको क्या मतलब है कानून से ? कानून से आपका क्या लेना देना?

श्री महादेव सिंह : आपका क्या लेना देना है ? लेना देना उनका है.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बताओ नियम क्या है ?

श्री महादेव सिंह : आप कौन होते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें वाद विवाद क्या होता है...

श्री महादेव सिंह : आप हैं, वही मैं हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह अध्यक्ष महोदय, कोई भी बात....(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : आप भी कुछ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन से बात करिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : पाइंट आफ आर्डर आता है तो उस पर सदस्य बोलते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : न पाइंट है, न आर्डर है....(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : पाइंट आफ आर्डर आता है तब नियमों का हवाला देकर सदस्य बोलते हैं....(व्यवधान) जिसका भी बोलने का हक है, पाइंट आफ आर्डर जब आता है....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति के बार बार भंभोड़ की तरह खड़े हो जाते हैं यह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम तो भंभोड़ हैं फिर भी बैठ गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अध्यक्ष महोदय, इनको तरीका सिखाया जाए। गरिमा सीख कर आओ। सदन की कार्यवाही....(व्यवधान) सदन की कार्यवाही चलने दो, समय जा रहा है।

श्री जुबेर खान : स्पीकर महोदय, माननीय सदस्यों को कहिये यह आपको संबोधित करें, हमें सम्बोधित करने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप लोगों ने ....(व्यवधान) कर दिया है....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सदन का समय जाया किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा...

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपने सदस्यों से कहें कि आपको सम्बोधित करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि इस प्रकार आप एक साथ इतने लोग बोलेंगे तो न तो....(व्यवधान) आप तो बैठे बैठे ही बोल रहे हो, वह खड़े होकर तो बोलते हैं। आप तो बैठे बैठे ही बोल रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, यदि इस प्रकार आप किसी की बात नहीं सुनने देंगे और इस प्रकार एक साथ इतने लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, सदन का काम चलेगा कैसे ? इसलिए जिसको अपनी बात कहनी है, वह एक एक करके अपनी बात कहे तो कोई व्यवस्था की बात होगी, इस तरह से अव्यवस्था फैलाने से काम थोड़े चलेगा।

एक माननीय सदस्य : इनका तो काम ही अव्यवस्था फैलाना है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) **:** एक मिनट, मुझे तो बोलने दो।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के लोग ही आपको नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : इनका आपस में ही कंट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के लोग ही आपको नहीं सुनना चाहते तो आसन क्या करेगा इसमें ?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि परम्परा यह कहती है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा न हो, मुझे भी जानकारी है। पर यह भी हमारा अधिकार है, एज ए मैम्बर कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। जो परम्परा रही है उससे मैं सहमत हूं। यह परम्परा का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा का अध्यक्ष और राजस्थान सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों के अलग-अलग तरह के कथन यदि पत्रिका के माध्यम से जनता के पास पहुंचे, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय यह कह रहे हैं कि वोट आन अकाउंट लिया जायेगा। वित्त विभाग यह कह रहा है कि फुल बजट लिया जाएगा। और उसमें वोट आन अकाउंट लिया जाएगा तो जनता को यह अधिकार है, माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह जानने का, कि यह सरकार वोट आन अकाउंट ले रही है, या यह सरकार बजट ला रही है या यह सरकार लोक सभा चुनाव के आधार पर जनता को गुमराह करके जो फुल बजट लाना चाहिए था, 31 मार्च तक, टैक्स लगाना नहीं चाहती। वोट लेकर जनता को गुमराह करने के नाम पर यह वोट आन अकाउंट लेना चाहती है। इसमें साहस होता तो फुल बजट लाती और जनता के बीच में जाकर कहती कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। (व्यवधान) पानी के दाम बढ़ाएंगे, बिजली के दाम बढ़ाएंगे, हम आपसे यह वसूल करना चाहते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान) अंकित न हो, अंकित न हो, अंकित न किया जाए।

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : XXX

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह ली। मुझे व्यवस्था देने दीजिए। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) **:** XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके, अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) **:** XXX

श्री अध्यक्ष : सुनिये मैंने इनकी बात सुनी ली। पत्रिका ने मुझसे पूछा, मैंने कहा, पहले वह 2004-2005 का बजट पेश करेंगी और फिर चार महीने का लेखानुदान लेंगी। यह मैंने कहा है, उनको। और वह पत्रिका कुछ भी छापे, मैंने बराबर यह कहा है कि 2004-2005 का बजट प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद चार महीने का लेखानुदान लेंगी।(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : XXX

श्री बंशीलाल खटीक : XXX

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-2005 का उपस्थापन करेंगी तथा सदन की मेज पर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

रखेंगी। (व्यवधान) XXX

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : XXX

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : XXX

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : XXX

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छाबडा) : XXX

डा. करण सिंह यादव : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, सदन की परम्परा रही है कि सदन के नेता जब खड़े होते हैं तो सबको बैठ जाना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। मैंने नाम पुकार लिया है, श्रीमती वसुन्धरा राजे।

उपस्थापन

वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान) वर्ष 2004-2005 का उपस्थापन

संशोधित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2003-2004 का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिये राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 2003-2004 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया,

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मैं वर्ष 2004-05 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 2003-04 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूं।

2. बजट अनुमानों के अन्तर्गत, वर्ष 2003-04 के लिए 3 हजार 672 करोड़ 79 लाख रुपये का राजस्व घाटा तथा 825 करोड़ 77 लाख रुपये का समग्र बजट घाटा अनुमानित किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व खाते में 3 हजार 667 करोड़ 48 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है तथा समग्र घाटा 282 करोड़ 37 लाख रुपये का अनुमानित किया गया है।

3. जैसा कि अपाको विदित है पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ष की योजना का आकार 4 हजार 258 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जिसे हमारी सरकार ने योजना आयोग से विचार-विमर्श के पश्चात् बढ़ाकर 5 हजार 504 करोड़ 52 लाख रुपये निर्धारित किया है। राज्य की विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा हमारी सरकार की ''सौ दिवस'' का कार्य योजना के वित्त पोषण हेतु योजना का आकार और बढ़ाकर 6 हजार 398 करोड़ 23 लाख रुपये रखा गया है। इस बढ़े हुए योजना आकार के बावजूद समग्र घाटा 282 करोड़ 37 लाख रुपये अनमानित है जो कि बजट अनुमानों में दर्शाये गये घाटे की तुलना में बहुत कम है।

4. वर्ष 2004-05 के बजट अनुमानों में 36 हजार 102 करोड़ 63 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 19 हजार 543 करोड़ 19 लाख रुपये एवं राजस्व प्राप्तियां 16 हजार 440 करोड़ 17 लाख रुपये अनुमानित की गई हैं तथा राजस्व खाते में 3 हजार 103 करोड़ 2 लाख रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। वर्ष 2004-2005 में समग्र बजट घाटा 1 हजार 394 करोड़ 48 लाख रुपये रहने की संभावना है।

5.पूर्व में आगामी वर्ष की योजना का आकार 5 हजार 293 करोड़ 55 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। राज्य के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता का देखते हुए हमने आगामी वर्ष की योजना का आकार बढ़ाकर 6 हजार 492 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रस्तावित किया है। अगले वर्ष की योजना के आकार के संबंध में अभी योजना आयोग से विचार-विमर्श किया जाना शेष है। हमारी प्राथमिकताओं औश्र जन आंकाक्षाओं के अनुकूल योजना अयोग से विमर्श होने के उपरान्त वर्ष 2004-05 के परिवर्तित बजट अनुमानों में योजना व्यय को अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए दिनांक 3 फरवरी, 2004 को लोकसभा में लेखानुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इस कारण केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में राज्य को मिलने वाले करों के भाग व अन्य अनुदान राशियों की विगत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी है। अंत: इन प्राप्तियों का आकलन राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को अगले वर्ष मिलने वाली राशियों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तथा योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता, बाजार ऋण आदि की राशि भी निर्धारित नहीं की गई है। अत: इन मदों में राज्य स्तर पर ही अनुमान तैयार किये गये हैं। इन मदों में वास्तविक प्राप्तियां बजट 2004-05 में प्रावधित राशियों से कहीं अधिक होने का अनुमान है जिससे वर्ष 2004-05 के समग्र घाटे में कमी हो सकेगी।

7. वर्ष 2004-05 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। साथ ही हम वित्तीय वर्ष 2004-05 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2004 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7- निर्वाचन, मांग संख्या 27- पेयजल तथा मांग संख्या 34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाले व्यय सामयिक हैं और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2004 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाऐंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के आय-व्यय अनुमान वर्ष 2004-2005 का उपस्थापन करती हूं एवं सदन की मेज पर रखती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री वर्ष 2004-2005 के लिए लेखानुदान (वोट आन अकाउंट) सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत करेंगी।

लेखानुदान सम्बन्धी विवरण वर्ष 2004-2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2004-2005 के लिए लेखानुदान (वोट आन अकाउंट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर।(व्यवधान) आपका क्या काम है ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय बना रखे हैं। (व्यवधान) विराजें आप।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता-प्रतिपक्ष) : आप इनको सुनकर फैसला कर दो।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पइंट आफ आर्डर। माननीय सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय ने जो वोट आन अकाउंट रखा है उसमें कारण लिखे हैं अपरिहार्य कारणों से। अपरिहार्य कारण कौनसे हैं अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान) बहुत अच्छा, लिखते, बहुत खुशी होती। (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इसमें चुनाव के सम्बन्ध में मेंशन कर देते। इसमें लिखते कि चुनाव के कारण हम यह वोट आन अकाउंट ला रहे हैं तो हमें बहुत खुशी होती। यह अपरिहार्य कारण हाइपोथेटिकल नहीं हो सकता, अध्यक्ष महोदय, यह अब्स्ट्रेक्ट नहीं हो सकता । अपरिहार्य कारणों का विषय लिखना पड़ेगा कि अपरिहार्य कारण कौनसे हैं। चुनाव के कारण ला रहे हैं। बहुत खुशी है चुनाव के कारण लाये। सबको कहिए।

श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : कारण इसमें लिखना जरूरी नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : टैक्स लगा रहे हैं। कारण लिखिए, ये कारण हैं अपरिहार्य कारण बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : अपरिहार्य कारण लिखना जरूरी नहीं है। सरकार की कई बातें गोपनीय रखनी पड़ती है।

डा. सी.पी.जोशी : आपकी हिम्मत होती तो फुल बजट लाकर आप यह कहते यह करना है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें कारण लिखते। (व्यवधान) वोट लेने के लिए वोट आन अकाउंट ला रहे हैं, यह कारण इसमें उल्लेख किया जाना चाहिए अन्यथा यह जो रखा जा रहा है इसको रिजेक्ट किजिए। (व्यवधान)हिम्मत है ? आपकी मंशा ही नहीं है। (व्यवधान) हम भी जीतकर आये हैं। विरोध करने के लिए जीतकर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह गलत परम्परा है।

डा सी.पी.जोशी : आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष महोदय, आपको ये गवर्नर कर हरे हैं। (व्यवधान) आप इसमें कारण लिखने के लिए कहिए श्री (व्यवधान) आर्टिकल 204 में लिखा है कि आप वोट आन अकाउंट रख सकते हैं (व्यवधान) इसके अंदर लिखा हुआ है।(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि ... (व्यवधान) इसका फैसला कीजिए।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान का बेड़ा गर्क करने वाली कांग्रेस है।

श्री गोविन्द राम चौहान : लोक सभा चुनाव में इन मंत्रियों के चिट्ठे खोलेंगे तब पता लगेगा लोगों को।

एक माननीय सदस्य : कैसे आप लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे हैं, किस मुंह से ये लोग भाषण दे रहे हैं। इन्होंने पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क किया है।,

डा. सी.पी. जोशी : आपकी मर्जी पर नहीं आये। वोट लेकर आये हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : लोक सभा चुनाव में चिट्ठा खोल देंगे मंत्रियों का। आप लोग कह रहे हैं जनता को गुमराह किया है, जनता को आपने गुमराह किया है। जनता ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : यह कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) यह कोई तरीका ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आसन ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) **:** आपने इनको भाषण देने की परमिशन दी है क्या?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं पाइंट आफ डिसआर्डर है।

डा. सी.पी. जोशी : आपका काम नहीं है डिसआर्डर का। (व्यवधान) आपका काम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी पाइंट आफ आर्डर उठाया जाता है....

डा. सी.पी.जोशी : ये मंत्री पद पर ले लेंगे आपको। महावीर जी, मंत्रिमण्डल में ले लेंगे, आप बैठो। यह काम उनका है।(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं इस पाइंट आफ आर्डर ...(व्यवधान) एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, बार-बार हो जाए, सदन के माननीय सदस्य है इनको ... (व्यवधान) पाइंट आफ आर्डर ऐसी अव्यवस्था के ऊपर दिलाया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप आसन ग्रहण करें। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, क्या किसी और को बोलने का अधिकार नहीं है? वह बोल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगी ही नहीं ? यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है? आप हमको सुनेंगी ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका है आपका? (व्यवधान) इनको क्या तकलीफ है?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके नेता महोदय को कहिए कि कम से कम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैं उसे निरस्त करती हूं। (व्यवधान) श्रीमती वसुन्धरा राजे।

(श्री अध्यक्ष)

डा. सी.पी. जोशी : यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है?(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है हाउस को चलाने का। हम लोग सदन से बायकाट करते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मै राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2004-2005 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रूपये 84,00,04,68,000/- (चौरासी अरब चार लाख अड़सठ हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करिए। प्रश्न यह है कि...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आज तक इस सदन की परम्परा रही है हम उसको पास करते हैं, उसके साथ जो आचरण करते हैं वित्तीय मामलों में, कभी इस सदन में इस प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने कल पार्लियामेंट में भी नियमों का उल्लंघन किया, आज यहां भी नियमों का उल्लंघन करके प्रजातंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में हार से भयभीत है और भयभीत होकर सदन के पटल का प्रयोग करना चाहती है, हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करने की ...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा पढ़ें लेखानुदान सम्बन्धी।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव वर्ष 2004-2005

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2004-2005 के विवरण में मांग संख्या-1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रूपये 84,00,04,68,000/- (चौरासी अरब चार लाख अड़सठ हजार) मात्र है व्यय के लिए प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 2004-2005 के विवरण में मांग संख्या-1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 84,00,04,68,000/- (चौरासी अरब चार लाख अड़सठ हजार) मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-21 विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजथान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2004 पारित किया गया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2003 2004

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2003 2004 के लिये राजस्थान शासन मे व्यय में अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक 5 फरवरी, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 11.34 बजे गुरुवार, दिनांक 5.02.2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)